रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 1981/आषाढ़ 11, 1903
No 294] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 1981/ SADHA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1981

का.आ. 527(अ)/18/चरू/आई.डी.आर.ए/81.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चरू की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 519(अ)/18 चरू/आई डी आर ए/77, तारीख 4 जुलाई, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों (बैंक आफ इंडिया नकद और जमा खाते के दायित्वों से भिन्न और इस सीमा तक कि ये चालू आस्तियों के अन्तर्गत है) का या उनमें से किसी का प्रवर्तन, जिनका मैसर्स वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बाम्बे नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रादुर्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे, और उक्त आदेश की अवधि को 3 जुलाई, 1981 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, विस्तारित किया गया था, और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 10 मार्च, 1982 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को 10 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, विस्तारित करती है ।

[एफ. एन. 3(18)/75-सीयूएस]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1981

S.O. 527(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development No. S.O. 519(E)/18FB/IDRA/77, dated the 4th July, 1977 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government in exercise of the

powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the Bank of India cash and credit account and to the extent that these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs. Western India Spinning and Manufacturing Company Limited, Bombay is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 3rd July, 1981;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto 10th March, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of 10th March, 1982.

[F. No. 3(18)/75-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981